1 . निम्नलिखित विद्यार्थी किसी परिषद्/ मंच के विभिन्न पदों के मनोनयन हेतु अयोग्य होंगे।

1. ऐसे विद्यार्थी जो गत शैक्षणिक सत्र में गम्भीर अनुशासनहीनता के दोषी ठहराए गए हों।
2. ऐसे विद्यार्थी जो गत वर्ष की नियमित परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे हों। यह उन विद्यार्थियों पर लागू होगा जो किसी कारणवश विश्वविद्यालय की नियमित परीक्षा में बैठने से रोक दिए गए हों अथवा जिन्हें अयोग्य घोषित कर दिया हो अथवा वे स्वयं किसी भी कारणवश परीक्षा न दे सके हों।
3. ऐसे विद्यार्थी जिन्हें गत वर्ष आयोजित परीक्षा में किसी भी अनिवार्य/वैकल्पिक विषय में पूरक योग्य घोषित किया गया हो।
4. ऐसे विद्यार्थी जो इस महाविद्यालय के छात्र/छात्रा नहीं है।

2. योजना मंच वाणिज्य-परिषद् कला-परिषद के विभिन्न पदों के मनोनयन हेतु प्राप्तांकों की योग्यता सूची प्रकाशन महाविद्यालय में चल रही सभी कक्षाओं में विलम्ब शुल्क सहित समस्त प्रवेशों की अन्तिम तिथि के 30 दिन के भीतर कर दिया जायेगा। इस अवधि में कमी या वृद्धि के विषय में प्राचार्य का निर्णय अंतिम माना जायेगा।
3. कोई भी विद्यार्थी योजना-मंच, वाणिज्य परिषद् व कला परिषद् के विभिन्न पदों में से केवल एक पद पर ही रह सकता है। अतः ऐसी परिस्थिति में यदि कभी योग्यता सूची के आधार पर कोई विद्यार्थी एक से अधिक परिषदों के मनोनयन के योग्य पाया जाता है तो ऐसे अधिक अंक प्राप्त विद्यार्थी को विकल्प होगा कि वह स्वेच्छा से किसी भी एक परिषद् में रहना स्वीकार करें। इस प्रकार इसके द्वारा छोड़ी गई परिषद्। मंच के अंक योग्यता क्रम में उससे अगले अंक योग्यता वाले विद्यार्थी को मनोनयन हेतु अवसर दिया जाएगा।
4. जहां पूर्णांक का आधार समान नहीं होगा वहां प्रतिशत को आधार बनाकर योग्यता क्रम का निर्धारण किया जायेगा।
5. विभिन्न परिषदों के मनोनयन हेतु प्रकाशित अंक योग्यता सूची में समान अंक से एक से अधिक विद्यार्थियों के होने पर उसके मनोनयन हेतु योग्यता क्रम का निर्धारण करने हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाई जायेगी।
    1. मनोनयन हेतु अंक योग्यता आधार वाली कक्षा से पूर्व की कक्षा में प्राप्तांकों के योग्यता क्रम को देखा जाएगा तथा जिस विद्यार्थी के सर्वाधिक अंक होंगे वह प्रथम तथा इसी प्रकार द्वितीय का निर्धारण किया जायेगा।
    2. उक्त (1) में भी समानता होने पर जन्म तिथि को आधार मानकर अर्थात आयु में बड़े को प्रथम तथा इसी प्रकार द्वितीय का निर्धारण किया जायेगा।
6. समस्त मनोनयन परामर्शदाता की सिफारिश पर प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित होने पर ही मान्य होंगे।
7. किसी विषय का नियमों में उल्लेख नहीं होने पर तथा किसी भी विषय में स्पष्टता के अभाव की स्थिति में प्राचार्य द्वारा दी गई व्यवस्था ही सर्वमान्य एवं अन्तिम होगी।